घर खरीदारों को प्रमोटर्स ने 14.23 लाख लौटाए

आर्यावर्त लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किरण शर्मा को 7.38 लाख तथा एक अन्य वाद में सुधीर शर्मा को 6.85 लाख रुपए किए वापस

सिटी रिपोर्टर | पटना

शहर के साथ पूरे राज्यभर में निजी प्रमोटर्स से परेशान घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदारों को भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा से सहयोग मिल रहा है। हाल ही में एक प्रमोटर द्वारा दो घर खरीदारों को 14.23 लाख रुपए एक ऐसे मामले में वापस किए गए हैं, जिसमें वसूली की प्रक्रिया बिहार एवं ओडिशा लोक मांग अधिनियम 1914, की प्रासंगिक धाराओं में वाद चल रहा था। यह अधिनियम गलती करने वाले व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने और उनके खिलाफ वारंट जारी करने की व्यापक शक्तियां देता है। यह तथ्य शुक्रवार को रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह द्वारा बुलाई गई एक बैठक के दौरान सामने आया। इसमें प्राधिकरण द्वारा स्थानांतरित किए गए मामलों को निपटाने वाले जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक बुलाने का उद्देश्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन को भेजे गए ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन करना था। ऐसे अधिकतर मामले ऐसे हैं, जिनमें दोषी प्रमोटर पीड़ित घर खरीदारों का पैसा वापस करने में विफल रहे हैं। बैठक में रेरा बिहार के सदस्य एसडी झा और प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

रेरा की बैठक।

यह है पूरा मामला : इस पूरे मामले का विवरण साझा करते हुए पटना जिले के विशेष अनुभाजन पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने कहा कि आर्यावर्त लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किरण शर्मा को 7.38 लाख रुपए वापस कर दिए गए तथा एक अन्य वाद में उसी प्रमोटर ने सुधीर शर्मा को 6.85 लाख रुपये लौटाए। दोनों घर खरीदारों ने सूचित किया है कि उन्हें रिफंड मिल गया है और इसलिए मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इस बैठक के बारे में जानकारी देने के बाद रेरा बिहार के अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण एक ऐसी प्रणाली भी विकसित करना चाहता है, जिसके उपयोग से लोक मांग अधिनियम मामलों के प्रगति की निगरानी की जा सके। साथ ही वसूली गई राशि, वारंट जारी करने के संबंध में आंकड़े निकाले जा सकें।

एक एप विकसित होगा

निर्णय लिया गया कि इस कार्य के लिए एक ऐप विकसित किया जाएगा और मामले की प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने में लगे जिला प्रशासन के कर्मी संबंधित डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। सिंह ने कहा कि हम पीड़ित घर खरीदारों के पैसे की वसूली के लिए प्रतिबद्ध है। मामलों की नियमित ट्रैकिंग से लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

अग्रणी होम्स की 27 कट्ठा जमीन ही होगी नीलामी

बैठक के दौरान विशेष अनुभाजन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 27 कट्ठा जमीन की नीलामी की प्रक्रिया भी 15 जून के बाद शुरू होने वाली है। इसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-प्रो प्लेटफॉर्म का उपयोग कर नीलामी की जाएगी। पटना के धवलपुरा इलाके में स्थित अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की जमीन को रेरा बिहार ने जब्त कर लिया था और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जमीन नीलामी के लिए जिला प्रशासन को सौंप दिया गया था। रेरा बिहार के अध्यक्ष ने कहा कि भूमि की नीलामी की राशि पीड़ित घर खरीदारों के बीच वितरित की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि प्राधिकरण पीडीआर मामलों को तेज गति से निपटाने के लिए अपना स्वयं का प्रमाणपत्र अधिकारी रखने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है। प्राधिकरण, वर्तमान में इन मामलों को जिला प्रशासन को भेजता है और अब तक लगभग 800 ऐसे मामलों को पटना जिला प्रशासन को भेजा गया है।

बिहार को एजुकेशन हब बनाने

... रही पूछताछ